

शासनादेश

सेवा का अधिकार

दिनांक 04-10-2011

शासनादेश

प्रस्तावना -1- भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार विधेयक, देहरादून, मंगलवार 04 अक्टूबर 2011 को पारित हुआ है जिसका शासनादेश संख्या 307/XXXVI(3)/2011/55(1)/2011 है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन हेतु

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा अपने पत्र सं0-1353/XXXi(13)G/2011 दिनांक 31-10-2011 के अन्तर्गत सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन हेतु पत्र प्राप्त हुआ ।

- पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-एक-262-2011(1) दिनांक 16-11-2011 को उपरोक्त पत्र के अनुपालन में गढवाल /कुमाँयु परिक्षेत्र के समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया ।
- पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-एक-262-2011(1) दिनांक 05-12-2011 को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूपों में सम्बन्धित जनपद /इकाईयों से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराने हेतु शिकायत को पत्र प्रेषित किया गया ।
- पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-एक-262-2011(1) दिनांक 05-04-2013 को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 एवं ऑनलाईन शिकायतों के सम्बन्ध में दिनांक 06-04-2013 को गोष्ठी हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, महोदय को गोष्ठी हेतु पत्र प्रेषित किया गया ।

- अपर पुलिस महानिदेशक, की अध्यक्षता में दिनांक 06-04-2013 को 1100 बजे सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के सम्बन्ध में कार्यवृत्त जारी, जिसमें उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के क्रियांन्वयन की मॉनिटरिंग हेतु पुलिस अधीक्षक, शिकायत एवं मानवाधिकार को नोडल अधिकारी नामित किया गया ।

- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत चिन्हित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सेवाओं को भी चिन्हित किये जाने हेतु पत्र प्राप्त हुआ ।

पुलिस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-एक-262-2011(1) दिनांक 20-06-2013 को उपरोक्त पत्र के अनुपालन में समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, को सेवा का अधिकार, अधिनियम के क्रियांन्वयन के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया ।

- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, आयोग से दिनांक 28-08-2015 को एक पत्र प्राप्त हुआ जिससे सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 से सम्बन्धित शासनादेश डाउनलोड कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
- उक्त पत्र के अनुपालन में इस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-शि0-से0अ0अधि0/2015 दिनांक 04-09-2015 को उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु गढवाल / कुमाँयु परिक्षेत्र को अनुरोध किया गया तथा समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, को आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में कार्यालयों में सूचना-पट्ट लगाने हेतु निर्देशित किया गया।
- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, आयोग से दिनांक 07-10-2015 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 से सम्बन्धित सेवाओं के सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है ।
- उक्त पत्र के अनुपालन में इस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-शि0-से0अ0अधि0/2015 दिनांक 13-10-2015 को उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु समस्त वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, को निर्देशित किया गया।
- उक्त पत्र के अनुपालन में इस मुख्यालय के पत्र सं0 डीजी-शि0-से0अ0अधि0/2015 दिनांक 14-10-2015 को उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने तथा आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु गढवाल / कुमाँयु परिक्षेत्र का अनुरोध किया गया।

- उत्तराखण्ड शासन से एक पत्र दिनांक 19-10-2015 को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष व फैक्स संख्या, मोबाईल न0, ई-मेल आईडी0 आदि की सूची उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
- उत्तराखण्ड शासन से दिनांक 21-10-2015 को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 में पुलिस विभाग से सम्बन्धित सेवाओं के सम्बन्ध में दिये गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक सेवा से सम्बन्धित अभिलेख पृथक-पृथक भर कर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
- उक्त पत्र के अनुपालन में इस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-शि0से0अ0अधि0 /2015 दिनांक 29-10-2015 को उपरोक्त पत्र के सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने हेतु गढवाल / कुमाँयु परिक्षेत्र को अनुरोध किया गया।
- उक्त पत्र के अनुपालन में इस मुख्यालय के पत्र सं0-डीजी-शि0से0अ0अधि0/2015 दिनांक 02-01-2016 को उक्त सूचना सचिव उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, आयोग को प्रेषित की गयी जो कि समय-समय पर प्रारूपानुसार प्रत्येक माह की सूचना माननीय आयोग को प्रेषित की जा रही है।

उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गृह / पुलिस विभाग से सम्बन्धित 16 अधिसूचित सेवाओं का विवरण।

क्र० सं०	सेवाएँ	पदाभिहीत अधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पद नाम
1	विदेशियों की भारत में रहने की अवधि का बढ़ाया जाना	निरीक्षक एल०आई०यू०	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
2	विदेशियों का पंजीकरण	निरीक्षक एल०आई०यू०	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
3	बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन (अन्य जनपदों से प्राप्त सत्यापन पत्र जहाँ का वह रहने वाला है)	प्रभारी / थानाध्यक्ष	07 दिन 60 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
4	एफ०आई०आर० की प्रति वादी को उपलब्ध कराना	प्रभारी /थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
5	लाउडस्पीकर का स्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करना	प्रभारी / थानाध्यक्ष	05	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
6	सेवायोजन सम्बन्धी सत्यापन	प्रभारी / थानाध्यक्ष	30	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7	पारपत्र सत्यापन	निरीक्षक एल०आई०यू०	21 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
8	सामान्य प्रार्थना पत्रों / शिकायतों का निस्तारण	प्रभारी / थानाध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

9	पुलिस के विरुद्ध शिकायत	क्षेत्राधिकारी	30 दिन	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	पुलिस उपमहानिरीक्षक/ महानिरीक्षक परिक्षेत्र
10	शस्त्र लाईसेन्स का नवीनीकरण की संस्तुति करना / आख्या अग्रसारित करना (अगर लाईसेंस निर्धारित अवधि की समाप्ति को पूर्व और लाईसेंस निर्गत करने वाले जनपद जहाँ से सेवा प्रदान की जाती है)	प्रभारी/ थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11	शस्त्र लाईसेंस में अन्य कोई परिवर्तन करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना (अगर उसी जनपद में परिवर्तन किया जाना है)	प्रभारी / थानाध्यक्ष	07 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12	मेला / प्रदर्शनी अन्य प्रायोजित कार्यक्रम हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी / थानाध्यक्ष	05 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13	नये शस्त्र लाईसेंस का सत्यापन विषयक संस्तुति / आख्या उपलब्ध करना	प्रभारी / थाना अध्यक्ष	30 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
14	शस्त्र का नवीनीकरण सत्यापन विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी / थाना अध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	शस्त्र विक्रेताओं का लाईसेंस नवीनीकरण का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान करने विषयक संस्तुति/ आख्या अग्रसारित करना	प्रभारी / थानाध्यक्ष	15 दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	पेट्रोल पम्प / सिनेमा हाल को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक संस्तुति / आख्या अग्रसारित करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष / अग्निशमन अधिकारी	15 दिन	क्षेत्राधिकारी,मुख्य अग्निशमन अधिकारी	पुलिस अधीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अतिरिक्त 21 अधिसूचित सेवाओं का शासनादेश

2- सुराज भ्रष्टाचार, उन्मूलन एवं जन सेवा विभाग उत्तराखण्ड शासन की संख्या-156/XLIII(1)/2018-20(04)16 दि० 3, अगस्त 2018 को उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 की धारा-3 के अधीन गृह विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली 16 सेवाओं के अतिरिक्त 21 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

- 1- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवा-वार अधिसूचित सेवाओं की समय सीमा निर्धारित की गयी हैं जिसके अन्तर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाना ।
- 2- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत 16 सेवाओं के अतिरिक्त 21 सेवाओं को उत्तराखण्ड राज्य में जन सामान्य हेतु उपयोगी हैं उन्हें तालिका वार चिन्हित किया है ।
- 3- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा प्रदान की जा रही 37 अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में जनता को जागरूक करने हेतु समय- समय पर विभिन्न गोष्ठीयों एवं प्रचार-प्रसार के माध्यमों से अवगत कराया जाना।
- 4- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं का समय निस्तारण की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जनपदों में होने वाले अपराध समीक्षा बैठक में अनुश्रवण/समीक्षा कराया जाना ।

5- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों को दोनो परिक्षेत्र के सभी जिलो में सेवाओं को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने हेतु सूचना बोर्ड पर अंकन किया जाना ।

6- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्राप्त सेवाओं से सम्बन्धित पदाभिहित अधिकारी प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी निर्धारित किये गये हैं, उनके अधिनस्थ प्राप्त होने वाले सेवा से सम्बन्धित प्रार्थना - पत्रों की पंजिकाए तैयार करने हेतु आयोग के निर्देशानुसार की गयी हैं ।

7- उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार, अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सभी 37 अधिसूचित सेवाओं को पुलिस वैबसाईट पर दिनांक 23-05-2019 को अपलोड किया जा चुका है जिसकी छाया प्रति गृह विभाग / आयोग को प्रेषित किया गया है ।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गृह विभाग की अतिरिक्त 21 अधिसूचित सेवाओं का विवरण

	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पद नाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	चरित्र सत्यापन (पुलिस सत्यापन रिपोर्ट,सेना सत्यापन रिपोर्ट,निजी सत्यापन रिपोर्ट) किया जाना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
2	पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड सभी प्रदान करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
3	शान्तिपूर्ण सार्वजनिक कार्य बैठक करने और मार्च/जुलूस रखने की सिफारिश/अनुशंसा के सम्बन्ध में।	प्रभारी थानाध्यक्ष	07-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
4	पटाकरो के लाईसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र/सिफारिश पर निर्गत करना। 1-विनिर्माण के लिए। 2-भण्डारण के लिए। 3-बेचने के लिए। 4-अस्थायी बिक्री के लिए।	प्रभारीथानाध्यक्ष / अग्निशमन अधिकारी	1-30 दिन 2-15 दिन 3-7 दिन 4-7	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

5	अग्निशमन सेवाओं के द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना। 1-सार्वजनिक समारोह के आयोजन हेतु। 2-अन्य प्रयोजनों हेतु।	प्रभारीथानाध्यक्ष / अग्निशमन अधिकारी	15-दिन 30-दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
6	आग के कारण होने वाले नुकसान का आकलन करना।	थानाप्रभारी/अग्निशमन अधिकारी	01-माह	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
7	फिल्म शूटिंग के लिए सिफारिश / अनुमति प्रदान करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	07-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
8	शस्त्र लाईसेंस के धारक के शस्त्र का स्थानान्तरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
9	गुमशुदगी की रिपोर्ट का पंजीकरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष+	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
10	ऑनलाईन शिकायत पर कार्यवाही।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11	पटाकों की बिक्री के लिए लाईसेंस की जारी करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशन अधिकारी	7-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12	सल्फर की बिक्री के लिए लाईसेंस जारी करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/अग्निशन अधिकारी	7-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13	मनोरंजन गतिविधियों के लिए लाईसेंस/अनुमति प्रदान करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

14	किरायदार का सत्यापन। 1-प्रदेश के अन्दर 2-प्रदेश के बाहर	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन 60-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	नौकर सत्यापन। 1-प्रदेश के अन्दर। 2-प्रदेश के बाहर।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन 60-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	दस्तावेजों/मोबाईल आदि के खो जाने की रिपोर्ट करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	तत्काल	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
17	शस्त्र लाईसेंस द्वारा अपना निवास स्थान परिवर्तन करने की दशा में लाईसेंस जारी करने वाले जनपद से दूसरे जनपद में शस्त्र लाईसेंस का नवीनीकरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
18	शस्त्रों के विक्रय हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देना।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
19	भवन की अग्नि सुरक्षा हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना।	प्रभारी थानाध्यक्ष/ अग्निशमन अधिकारी	30-दिन	मुख्य अग्निशमन अधिकारी / क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
20	विदेशी नागरिकों को पुलिस क्लेयरेंस प्रमाण-पत्र।	निरीक्षक एल.आई.यू.	30-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
21	अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना दायर होने पर राहत हेतु प्रकरण प्रस्तुतिकरण।	प्रभारी थानाध्यक्ष	15-दिन	क्षेत्राधिकारी	पुलिस अधीक्षक /वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक